बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
कार्यालय आदेश

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BSEIDC) के द्वारा बिहार के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत भवन निर्माण, जीर्णोद्धार, मरम्मति, कैम्पस डेवलपमेंट, उपस्करों की आपूर्त्ति आदि कार्य एकरारनामा के तहत संवेदकों के द्वारा कराये जा रहें हैं।

निर्धारित सभी कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार करने के लिए निगम के पास तकनीकी विशेषज्ञों की बड़ी संख्या उपलब्ध है। कनीय अभियंता से लेकर कार्यपालक अभियंता तक की जिम्मेवारी है कि वे समय सीमा में अपेक्षित मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण करायें। कुछ परियोजनाओं में निगम ने तकनीकी विशेषज्ञ एजेंसी को भी इस काम में अतिरिक्त सहयोग देने के लिए रखा हुआ है। बावजूद इसके निर्माण की गुणवत्ता, कार्यो की गुणवत्ता एवं आपूर्ति की गुणवत्ता की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। कुछ प्रोजेक्ट के बारे में यह भी शिकायत है कि निर्माण एजेन्सी को क्षमता एवं साधन से ज्यादा काम दे दी जाती है और निर्माण एजेन्सी जान–बूझकर कार्य सम्पादन में देर करती है। इसके लिए मनगढंत बहाने भी बनाये जाते है और प्रोजेक्ट पूरा होनें में महीनों देर हो जाती है। कार्यो में गुणवत्ता बनाने एवं ससमय निर्माण में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के लिए निम्नांकित आदेश दिया जाता है–

1. कार्य आरम्भ करने से पूर्व संस्था (जहाँ कार्य हो रहा है) के प्रभारी को प्राक्कलन (Estimate) की प्रति एवं प्राक्कलन के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यो की संक्षिप्त विवरणी उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें BSEIDC के द्वारा किये जानेवाले कार्यो की स्पष्ट जानकारी हो।

2. प्रत्येक निर्माण/जीर्णोद्वार का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल/अधूरे/जीर्ण भवन का फोटो (तिथि सहित) अवश्य लिया जाएगा एवं इसे अभिलेख में संधारित किया जएगा।

3. संवेदक को प्रत्येक भुगतान से पूर्व संस्थान के प्रभारी से कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा। यदि संस्था के प्रभारी द्वारा गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत की जाती है तो उस पर निगम तुरन्त कार्रवाई करेगी एवं संस्थान प्रभारी से शिकायत निवारण हो गया के लिए सहमति प्राप्त करेगी। किसी संस्था प्रधान के द्वारा बिना तथ्य के यदि आरोप लगाया जाता है और कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण होने का प्रमाण नहीं दिया जाता है तब मुख्यालय स्तर से MD, BSEIDC द्वारा एक तकनीकी एवं एक प्रशासी पदाधिकारी की टीम भेजकर प्रमाण लिया जाएगा एवं भुगतान किया जाएगा।

4. शिकायत निवारण की व्यवस्था निगम मुख्यालय में की जाएगी, जिसका E-mail, Fax, Mobile No. संस्थान के प्रभारी को उपलब्ध कराया जाएगा। शिकायत निवारण कोषांग पूरी पारदर्शिता से कार्य करेगा और अपनी मासिक रिपोर्ट (शिकायत वार) प्रबंध निदेशक को समर्पित करेगा।

5. कार्य पूर्ण होने पर संस्थान के प्रभारी को भवन हस्तगत विधिवत (handover) कराया जाएगा एवं उनसे कार्य की गुणवत्ता का प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही संवेदक को भुगतान किया जाएगा।

6. उपर्युक्त निर्देश निगम के द्वारा बनाये जा रहे विद्यालय के भवनों/विश्वविद्यालयों के कार्यो एवं अन्य सभी प्रकार के निर्माण कार्यो पर लागू होंगें।

7. शिकायत के निवारण किए बिना यदि भुगतान होता है तो इसके लिए दोषी व्यक्ति को चिन्हित कर उनके पारिश्रमिक से राशि की वसूली की जाएगी। शिकायत पर जाँच के दौरान यदि निर्माण एजेन्सी द्वारा मानक का वृहत् उल्लंघन (Gross Violation) प्रमाणित होगा तो एजेन्सी को नियमानुसार दण्डित किया जाएगा एवं सुपरवीजन में लगे तकनीकी अभियंता भी दण्ड के भागी होंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य अभियंता जिम्मेवार होंगें।

8. निर्माण स्थल का निरीक्षण मुख्यालय के पदाधिकारी के द्वारा भी किया जाएगा, जिसमें वे उपर्युक्त निदशों के अनुपालन को देखेंगे तथा गुणवत्तापूर्ण निर्माण एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्त्ति सुनिश्चित करेंगे। जिन मामलों में गुणवत्तापूर्ण कार्य हुआ है, उनके भुगतान का कार्य समय सीमा के अन्दर किया जाएगा। कार्य की मासिक समीक्षा कर प्रबंध निदेशक ससमय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

9. निगम के सभी पदाधिकारी सभी अभियंता, सभी कर्मी गुणवत्तापूर्ण, समय पर भुगतान एवं अच्छी कार्य संस्कृति कायम करने के लिए एक टीम के रूप में कार्य करेंगे। जो योजनाएं निर्धारित अवधि से एक वर्ष [redacted] वर्ष अधिक बीतने के बावजूद पूर्ण नहीं हुई हैं, इसकी सूची बनाकर प्रबंध निदेशक स्वयं अनुश्रवण करेंगे। मासिक अनुश्रवण की व्यवस्था प्रबंध निदेशक के स्तर से की जाएगी एवं उसकी कार्यवाही तैयार कर अभिलेख के रूप में संधारित की जाएगी।

8/6/19

(आर० के० महाजन)
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1201 **पटना, दिनांक** 10/06/**2019**

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/कुलसचिव, सभी विश्वविद्यालय, बिहार/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक (उच्च शिक्षा)/निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/6/19

अपर मुख्य सचिव